

सी.जी.-डी.एल.-सा.-05122020-223512 CG-DL-W-05122020-223512 साप्तााहक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 49] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2020 (अग्रहायण 14, 1942)

No. 49] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 5—DECEMBER 11, 2020 (AGRAHAYANA 14, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके=

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)=

## भाग III—खण्ड 4

# [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी को गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं] [Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

> श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अक्तूबर 2020

सं ए-12/11/1/भ.वि.-न.सि./2017-चि.-VI कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के चण्ड (X i) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग संवर्गों/पदों), भर्ती विनियमों, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई भथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पदों से संबंध रखते हैं, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी (पूर्व में क्रमश: स्टाफ नर्स तथा नर्सिंग सिस्टर) तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक पद पर भर्ती की पद्वति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता ह्य नामत :—

.1 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम (नर्सिंग अधिकारी, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी तथा सहायक नर्सिंग अधीक्षक), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- 2. राष्ट्रीयता-नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को होना चाहिए:---
  - (क) भारत का नागरिक; अथवा

(ख) वह व्यक्तियों की ऐसी श्रेणियों से संबंध रखता/रखती हो जो इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की गई हों।

अथवा	
(ख)(I) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद से जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी में	
डिप्लोमाः तथा	
<ul><li>(II) राज्य नर्सिंग परिषद से नर्स या नर्स और मिडवाइफ़(पंजीकृत नर्स या</li></ul>	
पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ़) के रूप में पंजीकृत; तथा	
(III) उपर्युक्त (ख)(I) में उल्लिखित शक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात	
पंचास बिस्तरों वाले अस्पताल में न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव।	
दिप्पणी 3: फीडर श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो पदोव्लति की सीध्र पति	
में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होंगे तथा इसी प्रकार	
प्रतिनियुक्त पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के विचारार्थ पात्र नहीं होगी	
टिप्पणी 4 : समान अथवा केंद्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन अथवा	1
विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित अन्य संवर्ग बाह्य पद में	1
प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित) की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति	1
(अल्पावधि संविदा सहित) की अवश्वि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं	1
होगी। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि नविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम	l
आयु-सीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि तक छप्पन वर्ष से अधिक	l
नहीं होनी होगी।	l
	अनुराधा प्रसाद

सं. ए-12/11/8/भ.वि.-ई.सी.जी./2017-चि.-VI—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप-धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (1) और धारा 17 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (पराचिकित्सा पद) भर्ती विनियम, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, जहां तक कि वे वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) पद से संबंध रखते हैं में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता ह्य नामत:—

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ— (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.), भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मट्रिक्स में लेवल— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मट्रिक्स में लेवल, इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य मामले इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- बिरईता— ऐसा कोई व्यक्ति—
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हा। या विवाह करने का करार किया हा। जिसका विवाहिती जीवित हा। अथवा
  - (ख) जिसने अपने विवाहिती के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया ह⊡अथवा विवाह करने का करार किया ह⊔

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज़ेय हा और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वे किसी व्यक्ति पर इस विनियम के प्रचालन से छूट दे सकेंगे।

5. शिथिलता प्रदत्त करने की शक्ति— जहां कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक की राय में ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन ह्य तो वे तत्संबंधी कारणों को लेखबद्ध करके तथा केंद्रीय सरकार के पूर्व विशिष्ट अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध में आदेश द्वारा शिथिलता दे सकते हैं। 6. व्यावृत्ति— इन विनियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरुप अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व समिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए प्रदान करना अपेक्षित हा

	अनुसूची					
पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मप्ट्रिक्स में	क्या चयन पद	सीधी भर्ती के	
			लेवल।	ह⊔अथवा गष्र	लिए आयु सीमा।	
				चयन पद।		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
वरिष्ठ तकनीकी	1*(2020)	समूह 'ख',	वेतन मप्ट्रिक्स में	चयन।	लागू नहीं।	
सहायक	*कार्यभार के आधार पर	गग्र-अनुसचिवीय।	लेवल-6			
(ई.सी.जी.)।	भिन्नता के अध्यधीन।		(35,400-1,12,400			
			रुपये)।			

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शक्षिक तथा अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती वालों के लिए विहित आयु और शक्तिक अर्हताएं पदोव्लति वालों के मामले में भी लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा ह्य और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत।	पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाना हा
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं।	लाग् नहीं।	दो वर्ष।	पदोन्नति द्वारा।	पदोव्लति। वेतन मष्ट्रिक्स के लेवल-5 (29,200-92,300 रुपये) में विभागीय रेडियोग्राफर तथा उसी लेवल में छह वर्ष की नियमित सेवा सहित। टिप्पणी 1 : वरिष्ठ तकनीकी सहायक (ई.सी.जी.) के पद की इय्ट्री के क्षेत्र में पदोव्लति के अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना। दो वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों को पदोव्लति हेतु ऐसे प्रशिक्षण को पूर्ण करने से छूट होगी। बशर्ते विभागीय पदोव्लति समिति की बठक की तिथि से पूर्व जिन व्यक्तियों ने पदोव्लति हेतु प्रशिक्षण पूर्ण नहीं किया ह्य उन पर भी इस शर्ताधीन विचार किया जाएगा कि विभागीय पदोव्लति समिति की बठक की तिथि से एक वर्ष के भीतर अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया जाएगा। टिप्पणी 2 : जहां पदोव्लति के लिए अपनी अर्हक अथवा पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों पर विचार किया जा रहा ह्य वहां उनके वरिष्ठों की पदोव्लति पर भी विचार किया जाएगा बशर्ते अपेक्षित अर्हक अथवा

	पात्रता सेवा ऐसी अर्हक अथवा पात्रता सेवा के आधे से
	अधिक अथवा दो वर्ष, जो भी कम हो, से कम न हो
	तथा उन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूर्ण
	कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ अगले उच्चतर ग्रेड
	में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि
	सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली हो।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद ह0तो उसकी संरचना क्या ह0	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करते समय
	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
	जाना हा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति के विचारार्थ) का गठन :-	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा
(1) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	आयोग से परामर्श आवश्यक हा
—अध्यक्ष	
(2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
—सदस्य	
(3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
—सदस्य	
समूह 'ख' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) का गठन :-	
(1) महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
—अध्यक्ष	
(2) चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
—सदस्य	
(3) बीमा आयुक्त (कार्मिक एवं प्रशासन), कर्मचारी राज्य बीमा निगम	
—सदस्य	

अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

### दिनांक 9 नवम्बर 2020

सं. ए–12(11)4/2016–स्था. I.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप–धारा (2) के खण्ड (xxi) और उप–धारा (2क) के साथ पठित उक्त धारा की उप–धारा (1) और धारा 17 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम कनिष्ठ अभियंता(सिविल / इलैक्ट्रिकल) भर्ती विनियम, 1993 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा किए जाने से छूट गई बातों के अलावा, कर्मचारी मज्य बीमा निगम, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतदद्वारा कर्मचारी राज्य कीमा निगम में कनिष्ठ अभियंता(इलैक्ट्रिकल) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—–

 संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) ये विनियम कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कनिष्ठ अभियंता(सिविल) और कनिष्ठ अभियंता(इलैक्ट्रिकल) भर्ती विनियम, 2020 कहे जाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में ट्राक प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीयता.– अभ्यर्थी का नियुक्ति के लिए होना चाहिए –

(क) भारत का नागरिक; अथवा



Director General

No. A-12/11/8/RR-ECG/2017-Med.-VI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97, read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), and in supersession of the Employees State Insurance Corporation (Para Medical post), Recruitment Regulations, 2010 in so far as they relate to the posts of Senior Technical Assistant (ECG), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Senior Technical Assistant (ECG) in Employees' State Insurance Corporation, namely: —

- 1. Short title and commencement. (1) These Regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Senior Technical Assistant (ECG), Recruitment Regulations, 2020.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in the pay matrix. The number of posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.

- 3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications etc.- The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 5. Power to relax. Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, and after obtaining specific prior approval of the Central Government, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
- 6. Savings. Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, the Other Backward Classes, the Exservicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in the Pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Senior Technical Assistant (ECG).	01*(2020) *Subject to variation dependent on workload.	Group 'B', Non-ministerial.	Level- 6 in the pay matrix (Rs. 35,400 – 1,12,400).	Selection.	Not applicable.

### SCHEDULE

qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Not applicable.	Not applicable.	Two years.	By Promotion.	PROMOTION: The departmental Senior ECG Technician in Level-5 in pay matrix (Rs. 29,200-92,300) with six years of regular service rendered in the grade. Note 1: Successful completion of mandatory training of promotion in the field of duties of the post of Senior Technical Assistant (ECG). Those persons who are due to retire within two years will be exempted from completion of such training. Provided that those persons who have not completed training for promotion before the date of meeting of departmental promotion committee will also be considered subject to the condition that the required training will be completed within one year of the date of meeting of departmental promotion committee.

	Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:	Consultation with Union Public Service Commission necessary on each occasion.
1. Chairman or Member, Union Public Service Commission -Chairman;	
2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation.	
-Member;	
3. Insurance Commissioner (Personnel & Administration), Employees' State Insurance Corporation	
-Member.	
Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:	
1. Director General, Employees' State Insurance Corporation	
-Chairman; 2. Medical Commissioner, Employees' State Insurance Corporation -Member;	
3. Insurance Commissioner (Personnel & Administration),	
Employees' State Insurance Corporation	
-Member.	
3. Insurance Commissioner (Personnel & Administration), Employees' State Insurance Corporation	

ANURADHA PRASAD Director General

#### The 9th November 2020

No. A-12(11)4/2016-Estt. I.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of that section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Junior Engineer (Civil/Electrical) Recruitment Regulations, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation with the approval of the Central Government and in consultation with the Union Public Service Commission hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the posts of Junior Engineer (Civil) and Junior Engineer (Electrical) in the Employees' State Insurance Corporation, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation Junior Engineer (Civit) and Junior Engineer (Electrical) Recruitment Regulations, 2020.



The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-16012021-224471 CG-DL-W-16012021-224471

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3]नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 16—जनवरी 22, 2021 (पौष 26, 1942)No. 3]NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 16—JANUARY 22, 2021 (PAUSA 26, 1942)

इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं

सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व केंक

मुंबई-400001, टिनांक 17 दिसंबर 2020

सं. विवि.पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020 टा—भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (बी) के अनुसरण में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एतदद्वारा 27 नवंबर, 2020 से निम्नलिखित बैंक को उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची से हटाने का निर्देश जरी करता है:—

"लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड"

सौरभ सिन्हा कार्यपालक निदेशक

श्रम और रोजगार मंत्रालय (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

शुद्धिपत्र

सं. ए-12/11/8/भ.वि.-ई.सी.जी./2017-चि.—पंजीकरण संख्या डीएल(एन)-04/0007/2003-20 (दिसम्बर 5—दिसम्बर 11, 2020) द्वारा भारत का राजपत्र, साप्ताहिक, भाग ।।।, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या ए-12/11/8/भ.वि.-ई.सी.जी./2017-चि. दिनांक 19 अक्टूबर, 2020 में निम्नलिखित को पढ़ा/प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

(क) पृष्ठ क्रम संख्या 326 में, अनुसूची के कॉलम संख्या (11) में, 'रेडियोग्राफर' शब्द 'वरिष्ठ ई.सी.जी. तकनीशियन' पढ़ा जाएगा।

> अनुराधा प्रसाद महानिदेशक

# RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 17th December 2020

No. DoR.PSBD.No.1849/16.01.067/2020-21—In pursuance of clause (b) of sub-section (6) of Section 42 of Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs exclusion with effect from November 27, 2020 from the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:—

"Lakshmi Vilas Bank Ltd"



### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION)

New Delhi, the 10th December 2020

### CORRIGENDUM

No. A-12/11/8/RR-ECG/2017-Med.-VI.—In the Notification No. A-12/11/8/RR-ECG/2017-Med.-VI dated 19th October 2020, published in the Gazette of India, Weekly, Part III, Section 4 (December 5—December 11, 2020) vide registered number DL(N)-04/0007/2003-20 the following shall be read/substituted:

(a) In the page serial number 326, in column number (11) of schedule, the word "Radiographer" shall be read as "Senior ECG Technician".

ANURADHA PRASAD Director General

### The 14th December 2020

No. A-12/11/21/Pharm.(AYUSH)-RR/2018-Med.-VI.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 97 read with clause (xxi) of sub-section (2) and sub-section (2A) of the said section and sub-section (2) of section 17 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) and in supersession of the Employees' State Insurance Corporation Pharmacist (Homoeopathy), Recruitment Regulations, 2008, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Employees' State Insurance Corporation hereby makes the following regulations regulating the method of recruitment to the post of Pharmacist (Homoeopathy) in Employees' State Insurance Corporation, namely:--

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Employees' State Insurance Corporation, Pharmacist (Homoeopathy), Recruitment Regulations, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

- 2. Number of post, classification and level in the pay matrix.—The number of post, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age -limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,—
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Director General of the Employees' State Insurance Corporation may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

5. Power to relax.—Where the Director General of the Employees' State Insurance Corporation is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, by order, for reasons to be recorded in writing, and after obtaining specific prior approval of the Chairman, Employees' State Insurance Corporation, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.